

4-12-19 प्रकरण प्रस्तुत हुआ। प्र.प.

212 R.F.A. का उभय पक्ष को बहस सुनी गयी।  
राजस्व रेकॉर्ड अनुसा मुम्बई विलगाते कर  
रेकॉर्ड थी। लाहौर मुम्बई जनजाति राजावाले  
है। आवंटन कर दी गयी। मुम्बई सरकार के वारे  
है। वादी अधिकार केवल केस के आधार पर  
आधार प्रमाण चाहते हैं। जबकि स्वातदा  
ही दीनेली एक्ट के आधार पर प्र.प. प्रस्तुत  
कर सकता है। अतः प्रार्थना का प्रथम पत्र  
212 स.न का स्वातदा नहीं होने से इसी एज  
पर स्वारीज किया जाता है।  
निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्र.प.  
फैसल मुम्बई होम न. व कर है।

(Mansu)  
(510 मंज.)  
सहायकाधीक्षक  
(फास्ट ट्रेक) मिर्वा  
कलक्टर मि. : ब. न. न.

